न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठाशीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाड़ी)

अपील संख्या	किस्म मुकदमा	प्रवेश दिनांक	निर्णय दिनांक
15/02/23	रेफरेन्स प्रकरण	31.01.2023	11/02/2026

उनवान प्रकरण :–

01. सरकार जरिये तहसीलदार टपूकड़ा

:–अपीलान्ट

बनाम

01. कमल
02. सम्पत
03. सतवीर पुत्रान रणजीत
04. गीता पुत्री रणजीत
05. भगोती पत्नी रणजीत।
06. गंगाराम
07. सोहनलाल पुत्रान रिछपाल
08. ज्ञानो
09. माया पुत्रियान रिछपाल जातियान गुर्जर नि. ग्राम बुरहेड़ा तह० टपूकड़ा
10. हरली पुत्र रामबक्स जाति ब्राहम्ण निवासी टपूकड़ा तह० टपूकड़ा

:–रेस्पोडेन्टान

रेफरेन्स प्रकरण बाबत माफी देन जमीन को अप्रार्थीगण के नाम सहवन से दर्ज खातेदारी को गैरस्त करने बाबत।

उपस्थित :

1. **श्री नरेन्द्र सिंह एडवोकेट**

:–वकील रेस्पोडेन्ट

–: **निर्णय** :–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गयां। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बुरहेड़ा के खसरा संख्या 444/0.33 है0 (1 बीघा 6 बिस्वा) के रेफरेन्स बाबत प्रकरण निम्न प्रकार है– कि ग्राम बुरहेड़ा में भू–प्रबंध विभाग की मिराल हकीयत सम्वत् 2029 के खाता संख्या 74 में दर्ज खसरा संख्या 444/0.33 है० (1 बीघा 6 बिस्वा) जो हरली पुत्र रामबक्श जाति ब्राहम्ण सा० टपूकड़ा माफीदेन जमीदाराना काश्त रिछपाल पुत्र प्रभु कोम गूर्जर सा० देह गैर खातेदार साल तीन दर्ज रिकॉड़ है। तत्पश्चात जमाबंदी सम्वत 2035 में उक्त गैर खातेदार साल 3 की प्रविष्टि को हटा दिया गया जो आगामी चौसाला जमाबंदियों में उपरोक्तानुसार बदस्तूर चलता रहा। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2064–67 के खाता संख्या 170 में दर्ज खसरा सं० 444/0.33 है० जो हरली पुत्र रामबक्स जाति ब्राहम्ण सा० टपूकड़ा माफीदेन जमीदारान काश्त रिछपाल पुत्र प्रभु कोम गूर्जर सा० देह दर्ज रिर्कोड़ है। नामांतरण संख्या 480 दिनांक 23.08.2007 से विरासत रिछपाल बहक इमरती बेवा व रणजीत, सोहनलाल, गंगाराम पुत्रान व ज्ञानो, माया पुत्रियान रिछपाल गूर्जर सा० देह के नाम दर्ज की गयी। नामांतरण संख्या 510 दिनांक 22.01.2009 से विरासत इमरती बेवा रिछपाल हिस्सा 1/6 बहक रणजीत, सोहनलाल, गंगाराम पुत्रान व ज्ञानो, माया पुत्रियान रिछपाल समभाग हिस्सा 1/6 गूजर सा० देह दर्ज की गयी व सम्वत 2068–71 के खाता नम्बर 133 में नामांतरण संख्या 683 विरासत दिनांक 22.07.2015 से रणजीत पुत्र रिछपाल बहक भगोती

पत्नी व सम्पत, कमल, सतवीर पुत्रान व गीता पुत्री रणजीत जाति गूजर हिस्सा मुताबिक जमाबंदी सा० देह दर्ज की गयी। उपरोक्त नामांतरण संख्या 480,510,683 ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय कर स्वीकार हुए हैं। सेग्रीगेशन के उपरान्त ऑनलाईन हाल जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता सं० 150 में दर्ज ख०सं० 444/0.33 है० में कमल पुत्र रणजीत हिस्सा 1/10 गंगाराम पुत्र रिछपाल हि० 1/10 गीता पुत्री रणजीत हिस्सा 1/10 ज्ञानो पुत्री रिछपाल हिस्सा 1/10 भगोती पत्नी रणजीत हिस्सा 1/10 माया पुत्री रिछपाल हिस्सा 1/10 सतवीर पुत्र रणजीत हिस्सा 1/10 सम्पत पुत्र रणजीत हिस्सा 1/10 सोहनलाल पुत्र रिछपाल हिस्सा 1/10 जाति गूर्जर सा० देह खातेदार, हरली पुत्र रामबक्स हिस्सा 1/10 जाति गूर्जर सा० टपूकड़ा खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। सम्वत 2029 की मिसल हकीयत में गैर खातेदार साल 3 दर्ज रिकोर्ड या जो कि जमाबंदी सम्वत 2035 में गैर खातेदार साल 3 प्रविष्टि को हटाया गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर मुताबिक मिसल हकीयत सम्वत 2029 के अनुसार आराजी खसरा नं0 444/0.33 है० वाके ग्राम बुरहेड़ा की आराजी को माफीदेन दर्ज किए जाने बाबत आदेश फरमायें।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी में नियम 33 के तहत प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 480 प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 510 प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 683 प्रदर्श–3 जमाबंदी वाके ग्राम बुरहेडा सम्वत् 2029 प्रदर्श–4, जमाबंदी वाके ग्राम बुरहेडा सम्वत् 2035, जमाबंदी संवत 2064–2067, 2067–2071, 2072–75 एवं 2076–79 प्रदर्श–5 संलग्न किया गया है।

बहस अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त अनुवान प्रकरण में विवादित आराजी बाबत अप्रार्थी संख्या 3 व 6 द्वारा पूर्व में एक अपील संख्या 276/2025 न्यायालय श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां पेश की गई थी। जिस अपील को स्वीकार करते हुए माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा आदेश अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी किया हैं। जिस आदेश को इस प्रकरण का निस्तारण करने के लिए गौर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के आदेश दिनांकित 20/01/2026 को न्यायालय रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान द्वारा माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 20/01/2026 पेश कर शामिल पत्रावली कर रिकॉर्ड पर लिया जाने हेतु निवेदन किया।

सरकार पैरोकार तहसीलदार टपूकडा के द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण संख्या 15/02/2023 में ग्राम बुरहेडा के खसरा सं. 444/0.33 (वर्तमान) जो हरली पुत्र रामबक्श जाति ब्राहम्ण सा. टपूकडा माफिदेन जमीदारान काश्त रिछपाल पुत्र प्रभू कौम गूर्जर सा. देह गैर खातेदार साल तीन दर्ज रिकॉर्ड है। तत्पश्चात जमाबंदी संवत 2035 में उक्त गैर खातेदार 3 साल की प्रविष्टि को हटा दिया गया। इस प्रकार रिछपाल पुत्र प्रभू कौम गूर्जर के वारिसान द्वारा नियमानुसार शुद्धि करवाकर पुनः गैर–खातेदार दर्ज किया जाकर विधिवत रूप से खातेदारी प्राप्त की जानी चाहिए थी। भूमि राजस्व रिकॉर्ड में किसी मन्दिर या

देवस्थान के नाम पर नही थी। इस संबंध में खातेदारान द्वारा एक वाद घोषणात्मक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा के समक्ष पेश किया जो खारिज होकर अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के प्रकरण संख्या 276/2025 में माननीय न्यायालय द्वारा रिछपाल पुत्र प्रभू जाति गूर्जर के वारिसानों को खातेदार काश्तकार घोषित किया है। उक्त रेफरेन्स प्रकरण में विवाद का बिन्दु दो खातेदारो/गैर–खातेदारो के मध्य था इसमें राज्य सरकार का हित सम्मिलित नही है।

हमने सरकार पैरोकार तहसीलदार टपूकडा के जवाब का अवलोकन किया साथ ही विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टान की ओर से प्रस्तुत माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 20/01/2026 का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया। जहां तक प्रश्न अपील के गुणावगुण का है इस विषय में मत है कि विवादित आराजी पर माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी अलवर के विस्तृत निर्णय दिनांक 20.01.2026 के द्वारा रेस्पोडेन्टान/उनके वारिसान का वाद इस प्रकार डिक्री किया गया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 444 रकबा 01 बीघा 6 बिस्वा यानि 0.33 हेक्टेयर वाके ग्राम बुरहेडा तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा का रेस्पोडेन्टान/उनके वारिसान को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। राजस्व रिकार्ड हाल से हरली पुत्र रामबक्श ब्राह्मण साकिन टपूकडा माफीदेन जमींदारान की प्रविष्ट को कलमजन कर उसके स्थान पर अपीलांट व तरतीबी रेस्पो० को खातेदार दर्ज किया जावे । रेस्पोडेन्टान/उनके वारिसान के पारस्परिक हिस्से दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये किये गये हैं। तदानुसार राजस्व रिकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये है। साथ ही सरकार परौकार तहसीलदार टपूकडा द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट किया गया है कि उक्त रेफरेन्स प्रकरण में विवाद का बिन्दु दो खातेदारो/गैर–खातेदारो के मध्य था इसमें राज्य सरकार का हित सम्मिलित नही है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये एवं माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी अलवर के निर्णय का अनुसरण करते हुए रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार योग्य नही है। अतः रेफरेन्स प्रकरण अस्वीकार कर निर्देश है कि तहसीलदार टपूकडा विधिसम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील व तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11/02/26 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भिवाडी,खैरथल–तिजारा।